संख्या 480 /XV-1/ पी.एस./यू.एल.डी.बी./2011–12

उत्तराखण्ड शासन

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 27 जून, 2011

विषयः **प्रत्येक जनपद से राजकीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को ए.आई. में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

राज्य में ए.आई. कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए यू.एल.डी.बी. द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जनपद से राजकीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को ए.आई. में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत करने कें सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस हेतु यू.एल.डी.बी. द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः ₹ 15000, ₹10000 एवं ₹ 5000 दिये जायेगें।

सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जाते है, जिनके आधार पर यू.एल.डी. बी. द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को पुरस्कार के लिए चयनित किया जायेगा :

1. कृत्रिम गर्भाधान से सम्बन्धित मासिक प्रगति प्रतिवेदन को यू.एल.डी.बी. को नियमित रूप से प्रेषित किया जाना।
2. कृत्रिम गर्भाधान से प्राप्त शुल्क को समय से यू.एल.डी.बी. के खाते में जमा किया जाना।
3. वर्ष के अन्त में ए.आई. इनपुट्स के स्टाक का वेरीफिकेशन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा करवाकर यू.एल.डी.बी. को भेजा जाना।
4. राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधानो की संख्या।
5. राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान का कन्सेप्शन रेट।
6. राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान के फलस्वरूप उत्पन्न संतति।

उपरोक्त मानकों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंक प्रदान किये जायेगें–

1. **मासिक प्रगति रिपोर्ट**– इसके लिए अधिकतम अंक 100 निर्धारित हैं। प्रत्येक मासिक प्रगति की संख्या को 8 अंक दिये जायेगें। वर्ष के बारह (12) महीने की मासिक प्रगति प्राप्त होने पर 4 अंक अतिरिक्त दिये जायेगे।
2. **कृत्रिम गर्भाधान शुल्क**– इसके लिए अधिकतम अंक 100 निर्धारित है। राजकीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं द्वारा ए.आई. की शुल्क ₹ 35.00 प्रति कृत्रिम गर्भाधान की दर से यू.एल.डी.बी. के खाते में जमा की जानी होती है। यदि कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा कुल की गई ए.आई. के सापेक्ष पूरा शुल्क जमा हैं, तो उसे पूर्ण 100 अंक प्रदान किये जायेगे। कृत ए0 आई0 के सापेक्ष जमा किये जाने वाले शुल्क से कम शुल्क जमा होने पर शून्य अंक दिये जायेगे।
3. **ए.आई. इनपुट्स का स्टाक वेरीफिकेशन**– इसके लिए अधिकतम अंक 100 निर्धारित हैं। ए0आई0 केन्द्र द्वारा वर्ष के अंत में ए.आई. इनपुट्स का स्टाक वेरफिकेशन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अवलोकित करवाकर भेजी गयी स्टाक वेरफिकेशन रिपोर्ट के प्राप्त होने पर 100 अंक दिये जायेगे, अन्यथा शून्य अंक प्रदान किया जायेगा।

4. **कृत्रिम गर्भाधान की संख्या**– इसके लिए अधिकतम 300 अंक निर्धारित है, जो गाय/भैंस एवं कुल योग में बराबर–2 विभाजित हैं, अर्थात प्रत्येक उपवर्ग को 100–100 अंक दिये जायेगे। प्रत्येक उपवर्ग अर्थात गाय/भैंस तथा कुल योग में जनपद मे अधिकतम संख्या वाले केन्द्रों को पूर्ण 100 अंक प्रदान किये जायेगे। अन्य केन्द्रों को अधिकतम संख्या के सापेक्ष अनुपातिक आधार पर अंक प्रदान किये जायेगें।
5. **कृत्रिम गर्भाधान दर (कन्शेप्सन रेट)**– इसके लिए भी अधिकतम 300 अंक निर्धारित हैं, जो गाय/भैंस तथा कुल योग में बराबर–बराबर विभाजित है। बिन्दु संख्या–4 की तरह प्रत्येक उपवर्ग में अधिकतम गर्भाधान दर वाले केन्द्र को पूर्ण 100 अंक प्रदान किये जायेगें। अन्य केन्द्रों को उसके सापेक्ष आनुपातिक आधार पर अंक दिये जायेगे।
6. **कृत्रिम गर्भाधान के फलस्वरूप उत्पन्न संतति**– इस मानक के लिए भी अधिकतम 300 अंक निर्धारित है, जो गाय/भैंस तथा कुल योग के उपवर्गो मे बराबर–बराबर विभाजित है। बिन्दु संख्या–4 की ही तरह प्रत्येक उपवर्ग में अधिकतम उत्पन्न संतति वाले केन्द्र को पूर्ण 100 अंक प्रदान किये जायेगे। अन्य केन्द्रों को उसके सापेक्ष आनुपातिक आधार पर अंक दिये जायेगे।
7. **देहरादून, पौड़ी तथा नैनीताल जनपद मे भौगोलिक आधार पर मूल्यांकन** – देहरादून, पौड़ी तथा नैनीताल जनपद में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में स्थापित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान मैदानी क्षेत्रो के सापेक्ष कम होते है। अतः उनको इस पुरस्कार में मैदानी क्षेत्रो के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के सामान अवसर प्रदान करने के लिए उनके द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान/गर्भाधान दर एवं उत्पन्न संतति के उपवर्गो में प्राप्त अंको के योग का 25 प्रतिशत अतिरिक्त अंक वेटेज के रूप में दिये जायेगे।
8. **केन्द्रों के समान प्राप्तांक होने पर वरीयता निर्धारण** – केन्द्रों के समान प्राप्तांक होने पर उनकी वरीयता क्रमशः उत्पन्न संतति की संख्या, गर्भाधान दर तथा कृत्रिम गर्भाधानो की संख्या के आधार पर तय की जायेगी।

उपरोक्त मानकों को अंक प्रदान करने के लिए प्रस्तावित ब्राडशीट का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

संख्या 480 **/XV-1/ पी.एस./यू.एल.डी.बी./**2011–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड को समस्त राजकीय ए.आई. केन्द्रों को इसकी जानकारी कराने हेतु।
2. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।
4. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. निजी सचिव, आयुक्त, वन एंव ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जनपद से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के चयन के लिए परफोरमेन्स इन्डिकेटर के आधार पर तैयार की जाने वाली ब्राड शीट

जनपद..... वर्ष .....

क0 स0	केन्द्र का कोड नं0	पर्वतीय / मैदानी	मासिक प्रगति		कृ0ग0शुल्क				स्टॉक वेरीफिकेशन रिर्पोट द्वारा मु0प0चि0		कृत्रिम गर्भाधान					
											गाय		भैस		योग	
			यू0एल0डी 0बी0 को उपलब्ध करवायी गई मा0 प्र0की0 संख्या	अंक (अधिकतम 100)	वर्ष में कुल कृ0ग0	जमा करने योग्य शुल्क (@₹35/कृ 0ग0)	यू0एल0डी 0बी0 के खाते में में जमा करवाया गया वास्तविक शुल्क	अंक (अधिकतम 100)	प्राप्त / अप्राप्त	अंक (अधिकतम 100)	अधिकतम की तुलना में प्रतिशत	अंक (अधिकतम 100)	अधिकतम की तुलना में प्रतिशत	अंक (अधिकतम 100)	अधिकतम की तुलना में प्रतिशत	अंक (अधिकतम 100)
		1		2				3		4		5		6		7

कॉलम	विवरण
1	इस कॉलम में केवल देहरादून, नैनीताल तथा पौड़ी जनपद के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रो मे सूचीबद्ध किया जायेगा। इन जनपदो के पर्वतीय क्षेत्रो में स्थित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो को उनके द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान, गर्भाधान दर एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति में प्राप्त योग का 25 प्रतिशत अंक अतिरिक्त दिया जायेगा।
2	इस कॉलम में प्रत्येक मासिक प्रगति के 8 अंक दिये जोयेगे। वर्ष के बारहों महीने के मासिक प्रगति प्राप्त होने पर 4 अंक अतिरिक्त दिये जायेगे।
3	इस कॉलम में कुल जमा योग्य शुल्क से कम शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में 0 अंक दिये जायेगे।
4	इस कॉलम में केन्द्र की ए0आई इनपुटस का स्टॉक वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में 0 अंक दिये जायेगे।
5–13	इन कॉलमों में जनपद के अधिकतम कार्य करने वाले केन्द्र को पूर्ण 100 अंक दिये जायेगे। शेष केन्द्रो को उसी के अनुपातिक आधार पर अंक प्रदान किये जायेगे।
14	इस कॉलम में प्राप्तांको के बराबर होने की दशा में कमशः उत्पन्न संतति, गर्भाधान दर, कृत्रिम गर्भाधान के संख्या के आधार पर वरीयता दी जायेगी।

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जनपद से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के चयन के लिए परफोरमेन्स इन्डिकेटर के आधार पर तैयार की जाने वाली ब्राड शीट

जनपद वर्ष

क0 स0	केन्द्र का कोड नं0	गर्भाधान दर						कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति						प्राप्तांक
		गाय		भैस		योग		गाय		भैस		योग		
		अधिकतम की तुलना में प्रतिशत	अंक (अधिकतम 100)	अधिकतम की तुलना में प्रतिशत	अंक (अधिकतम 100)	अधिकतम की तुलना में प्रतिशत	अंक (अधिकतम 100)	अधिकतम की तुलना में प्रतिशत	अंक (अधिकतम 100)	अधिकतम की तुलना में प्रतिशत	अंक (अधिकतम 100)	अधिकतम की तुलना में प्रतिशत	अंक (अधिकतम 100)	
			8		9		10		11		12		13	14

कॉलम	विवरण
1	इस कॉलम में केवल देहरादून, नैनीताल तथा पौड़ी जनपद के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रो मे सूचीबद्ध किया जायेगा। इन जनपदो के पर्वतीय क्षेत्रो में स्थित कृत्रिम गर्भाधान केन्दो को उनके द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान, गर्भाधान दर एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति में प्राप्त योग का 25 प्रतिशत अंक अतिरिक्त दिया जायेगा।
2	इस कॉलम में प्रत्येक मासिक प्रगति के 8 अंक दिये जोयेगे। वर्ष के बारहों महीने के मासिक प्रगति प्राप्त होने पर 4 अंक अतिरिक्त दिये जायेगे।
3	इस कॉलम में कुल जमा योग्य शुल्क से कम शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में 0 अंक दिये जायेगे।
4	इस कॉलम में केन्द्र की ए0आई इनपुटस का स्टॉक वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में 0 अंक दिये जायेगे।
5–13	इन कॉलमों में जनपद के अधिकतम कार्य करने वाले केन्द्र को पूर्ण 100 अंक दिये जायेगे। शेष केन्द्रो को उसी के अनुपातिक आधार पर अंक प्रदान किये जायेगे।
14	इस कॉलम में प्राप्तांको के बराबर होने की दशा में कमशः उत्पन्न संतति, गर्भाधान दर, कृत्रिम गर्भाधान के संख्या के आधार पर वरीयता दी जायेगी।